

राजस्थान सरकार
राजस्वग्रुप-6 विभाग

समस्त जिलाकलेक्टर,
राजस्थान।

पत्र:- 289/राज-6/04/17

जयपुर, दिनांक:- 26/11/04

विषय:- ग्रामदानी गाँव की भूमि का बाहरी व्यक्तियों द्वारा
क़ूम किये जाने के संकेतों।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले से
संबंधित सभी ग्राम सभाओं के रिकार्ड की जाँच करावे तथा यह सुनिश्चित
करें कि ग्रामदानी गाँव की भूमि को ग्रामदान एक्ट के तहत अन्य गाँव के
व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता है। यदि किसी ग्राम की ग्रामदानी
भूमि किसी अन्य ग्राम के व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है तो उन
मामलों की जानकारी प्राप्त करसकत कार्यवाही करावें तथा की गई कार्यवाही
से इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय


उप शासन सचिव